संख्या-15/2022/1311/63-व0उ0-2022-40(एच)/2015

प्रेषक,

पी0 के0 पाण्डेय
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

आयुक्त एवं निदेशक,
हथकरघा एवं वस्त्रोद्योग,
उ0प्र0, कानपुर।

हथकरघा वस्त्रोद्योग अनुभाग **लखनऊः दिनांकः 04 नवम्बर, 2022**

विषयः- हथकरघा बुनकरों को विद्युत दर में छूट की प्रतिपूर्ति योजना की वित्तीय स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वर्तमान वित्तीय वर्ष 2022-23 में हथकरघा बुनकरों को विद्युत दर में छूट की प्रतिपूर्ति योजना की पूर्ण धनराशि रू 5.00 करोड़ (रूपया पाँच करोड़ मात्र) की वित्तीय स्वीकृति श्री राज्यपाल प्रदान करते हैं।

2- उक्त प्रस्तर-1 में स्वीकृत धनराशि का व्यय किसी अन्य मद में नहीं किया जायेगा। यह धनराशि आयुक्त एवं निदेशक, हथकरघा एवं वस्त्रोद्योग, उ0प्र0 कानपुर के निर्वतन पर रखी जायेगी एवं आयुक्त एवं निदेशक द्वारा यह धनराशि बुनकरों के खाते में सीधे क्ण्ठण्ज्ण् के माध्यम से स्थानान्तरित की जायेगी। गत वर्ष तथा वर्तमान वित्तीय वर्ष में स्वीकृत धनराशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र शासन को 15 दिवस के अन्दर उपलब्ध कराया जायेगा।

3- उक्त धनराशि का भुगतान हथकरघा बुनकरांे के बैंक खाते में क्ण्ठण्ज्ण् के माध्यम से स्थानान्तरित किया जाना सुनिश्चित किया जायेगा। उक्त स्वीकृत धनराशि व्यय किये जाने के पूर्व वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप संख्या-13/2022/बी-1-454/दस-2022-231/2022 दिनांक 07-06-2022 द्वारा जारी दिशा-निर्देशों का पूर्णतया अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा। उक्त धनराशि का सदुपयोग सुनिश्चित करने का पूर्ण उत्तरदायित्व आयुक्त एवं निदेशक, हथकरघा एवं वस्त्रोद्योग, उ0प्र0 कानपुर का होगा।

4- प्रस्तर-1 में स्वीकृत धनराशि रू 5.00 करोड़ (रूपया पॉच करोड़ मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 2022-23 के आय-व्ययक की अनुदान संख्या-6 के अधीन लेखाशीर्षक-2851-ग्राम तथा लघु उद्योग-108-बिजली हथकरघा उद्योग-05-हथकरघा बुनकरों को विद्युत दर में छूट की प्रतिपूर्ति-27-सब्सिडी के नामें डाला जायेगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

भवदीय,

पी0 के0 पाण्डेय
संयुक्त सचिव।

संख्या-15/2022/1311 (1)/63-व0उ0-2022 तद दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- महालेखाकार, (लेखा-परीक्षा) प्रथम, उ0प्र0, प्रयागराज।
2- अध्यक्ष, उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लिमिटेड, 14-अशोक मार्ग, शक्ति भवन, लखनऊ।
3- अपर मुख्य सचिव, ऊर्जा विभाग, उ0प्र0 शासन।
4- प्रबन्ध निदेशक, उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लिमिटेड, 14-अशोक मार्ग, शक्ति भवन, लखनऊ।
5- निदेशक, (वित्त) उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन, अशोक मार्ग, लखनऊ।
6- मुख्य कोषाधिकारी, कानपुर नगर।
7- निदेशक, वित्तीय सांख्यिकी निदेशालय, 125 जवाहर भवन, लखनऊ।
8- अनु सचिव, वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-6, उ0प्र0 शासन।
9- गार्ड पत्रावली।

आज्ञा से,

(पी0 के0 पाण्डेय)
संयुक्त सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।